फर्द अहकाम

रघुवीर सिंह बनाम मोहन सिंह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/9/23	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा कार्य बहिष्कार / कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/10/23 पेश हो।
	17/10/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. प्रशासनिक कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 29/2/24 को पेश हो।
	29/2/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. प्रशासनिक कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 5/3/24 को पेश हो।
	5/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० पत्रावली बहस हेतु दिनांक 7/3/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
नि. किशना	7/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने साक्ष्य के रूप प्रार्थी के भाई श्री किशना पुत्र पांच्या, व सह खातेदार कैलाश, नायक पुत्र रामकरण एवं प्रार्थी के भाई किशना के पुत्र श्री बाबूलाल
कैलाश नारायण मीणा		मीणा उक्त किशना को पेश किया। उक्त लोगों के न्याया० के मौखिक बयान लिया कि उक्त व्यक्ति नायक व रामनारायण एक ही व्यक्ति है। अन्य कोई दूसरा इस नाम का व्यक्ति नहीं है जो मेरा भाई व सह खातेदार है। प्रार्थी का
RT बाबूलाल		

फर्द अहकाम

रामनारायण बनाम सरकार

न्याय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

206/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	नाम राजस्व में दुरस्त करने की प्रार्थना की। पत्रावली का अवलोकन किया (पत्रावली) में तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट/पत्रक क्रमांक/रीडर/2023/305 दि० 24/7/23 पेश कर रखी है। जो पूर्व से पत्रावली में शामिल है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में तहसील पटवार सरकारी रिपोर्ट का अवलोकन करने व गवाहों के बयानों का मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू. रा. अ. को स्वीकार करना उचित समझता हूँ। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू. रा. अ. को स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री निर्णय मुताबिक लिखी जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली वास्ते इन्द्राज होकर नायब ति. कार्यालय हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,जमवारामगढ़ जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
206/2022	20/12/2022	07.03.2024

– उनवान –

1. रामनारायण पुत्र पॉच्या जाति मीना, निवासी खेमावास उर्फ चुगलपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
श्री महेश शर्मा – वकील प्रार्थी

प्रार्थनापत्र बाबत् नाम शुद्धिकरण अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया कि ग्राम खेमावास उर्फ चुगलपुरा पटवार हल्का इन्द्रगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में आराजी कृषि भूमि स्थित है। जिसका खसरा नम्बर 1, 11, 12, 13, 14, 4, 9 किता कुल 7 कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी के हित में मुताबिक रिकार्ड में अंकित अनुसार दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णितानुसार वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में खातेदार वादी का राजस्व इन्द्राज रामनारायण पुत्र पॉच्या के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से भूलवश बोलते नाम अनुसार त्रुटिपूर्ण तरीके से बोलते नाम नारायण पुत्र पॉच्या अनुसार गलत अंकित कर दिया। जबकि वादी का सही दस्तावेजी नाम रामनारायण पुत्र पॉच्या अंकित करते हुए जमाबन्दी बनायी जानी चाहिए थी। राजस्व कर्मचारी/पटवारी हल्का के उक्त प्रकार से त्रुटिपूर्ण राजस्व रिकार्ड के आधार पर नियमित जमाबन्दीयों में वादी का नाम गलत अंकित होकर चला आ रहा है तथा गलत व सहवन से त्रुटिपूर्ण इन्द्राज है, जो कि काबिले दुरूस्तीकरण है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण राजस्व इन्द्राज नारायण पुत्र पॉच्या के स्थान पर रामनारायण पुत्र पॉचूराम अनुसार दर्ज करने की घोषणा किया जावें, तदानुसार राजस्व इन्द्राज दुरूस्त करने की आज्ञा व आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलबी की जाकर रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्र क्रमांक/रीडर/2022/305 दिनांक 24/07/2023 प्रस्तुत किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि ग्राम खेमावास उर्फ चुगलपुरा के खसरा नं0 1, 11, 12, 13, 14, 4, 9 किता कुल 07 कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर मे नारायण पुत्र पॉच्या हि0 1/4 का पूर्ण एवं सही नाम रामनारायण पुत्र पॉच्या/पॉचूराम है। नारायण नाम का दुसरा ओर कोई व्यक्ति नही होना हल्का पटवारी ने बताया है। वादी प्रार्थी रामनारायण के स्थान पर नारायण दर्ज हो गया। जिसे शुद्ध कराना चाहता है।

वकील प्रार्थी ने साक्ष्य स्वरूप प्रार्थी के भाई श्री किशना पुत्र पॉचू राम व सह खातेदार कैलाश नारायण पुत्र रामधन तथा प्रार्थी के भाई श्री किशना के पुत्र श्री बाबूलाल मीना पुत्र किशना समस्त

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

212

निवासी ग्राम चुलगलपुरा को पेश किया। उक्त लोगों ने न्यायालय में उपस्थित होकर मौखिक बयान दिया कि उक्त व्यक्ति नारायण व रामनारायण एक ही व्यक्ति है। अन्य कोई दुसरा इस नाम का व्यक्ति नही है। जो मेरा भाई व सहखातेदार है। प्रार्थी का नाम राजस्व में दुरूस्त करनें की सहमति दी।

बहस वकील प्रार्थी बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध पैरोकार सरकार की रिपोर्ट का अवलोकन करने एवं प्रार्थी के भाई व सह खातेदार के बयानों का मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ़ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम खेमावास उर्फ चुगलपुरा पटवार हल्का इन्द्रगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर मे स्थित वादग्रस्त आराजियात भूमि खसरा नम्बर 1, 11, 12, 13, 14, 4, 9 किता कुल 7 कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर में खातेदार नारायण पुत्र पॉच्या के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामनारायण पुत्र पॉच्या उर्फ पॉचूराम दुरूस्त/शुद्व किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को भिजवाई जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 07.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़